ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2017; 3(6): 1370-1373
www.allresearchjournal.com
Received: 14-04-2017
Accepted: 07-05-2017

डॉ0 अनुराधा गोयल
असोसिएट प्रोफेसर, बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 अनुराधा गोयल
असोसिएट प्रोफेसर, बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

आदिवासी समाज में महिला सशक्तिकरण

डॉ0 अनुराधा गोयल

प्रस्ताबना:

महिलाएं किसी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासी समुदाय आमतौर पर अन्य लोगों की तुलना में अधिक पिछड़े होते हैं। अतः आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति गैर–आदिवासी समाज के मुकाबले और भी बदतर है। भारत में आदिवासी समाज की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। भारतीय आदिवासी महिलाएं जी.डी.ओ. का 65% से अधिक उत्पादन करती हैं। पारिवारिक आय का 60% हिस्सा आदिवासी महिलाएं कमाती हैं जिसमें से लगभग 65% से अधिक मजदूरी आदि करके कमाती हैं जबकि केवल लगभग 40% छोटे–मोटे विजनिस करके लाभ कमाती हैं। यदि हम भारत के सात उत्तर–पूर्वी राज्यों को घटा दें, तो आदिवासी महिलाओं को बेरोजगारी, बालिकाओं की हत्या, कुपोषण, चिकित्सा सुविधा की कमी, स्वतंत्रता की कमी और युवावस्था से पहले शादी आदि जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें ने गैर–सरकारी संगठनों (NGO) और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर सामान्य रूप से आदिवासी और विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम और नीतियां शुरू की हैं। भारत में आदिवासी आबादी इसकी कुल आबादी का लगभग 10% है। वे लगभग सभी राज्यों में फैले हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों जैसे–झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में यह बहुमत में हैं। प्रस्तुत शोध पेपर आदिवासी महिला सशक्तिकरण की स्थिति की खोज से संबंधित है। यह अध्ययन आदिवासी समाज की पारिवारिक पृष्ठभूमि, समाज और सरकार से अपेक्षाएं, सामाजिक भेदभाव और लिंग पूर्वाग्रह आदि की सोच पर भी केंद्रित है।

सशक्तिकरण का अर्थ है किसी को शक्तिशाली बनाना, कमजोरों को शक्ति प्राप्त करने की सुविधा देना, किसी का आत्म–सम्मान बढ़ाना, किसी को दृढ़ आत्मविश्वासी बनने में मदद करना, किसी को अन्याय और उत्पीड़न का सामना करने में सक्षम बनाना और किसी को उनके अधिकारों के लिए लड़ने हेतु समर्थ बनाना। सशक्तिकरण को समझने के लिए पहले हमें ''शक्ति'' को समझना होगा। शक्ति एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है, कई समाजशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया है, लेकिन इसमें काफी असहमति है। 'मैक्स वेबर्स' के अनुसार शक्ति का तात्पर्य दूसरों, घटनाओं या संसाधनों को नियंत्रित करने की क्षमता से है। कार्ल मार्क्स के अनुसार–'शक्ति सत्ता सामाजिक वर्ग की स्थिति में निहित है।' उन्होंने सत्ता शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के बजाय सामाजिक वर्गों और सामाजिक व्यवस्था के संबंध में किया। टॉल्कॉट पार्सन्स जैसे प्रकार्यवादियों का मानना है कि शक्ति केवल सत्ता, सामाजिक दबाव और प्रभुत्व का मामला नहीं है, बल्कि यह एक प्रणाली की क्षमता से प्रवाहित होती है जो मानव गतिविधि और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वय करती है।

शक्ति एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिष्ठित किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, छीना जा सकता है, खोया जा सकता है या चोरी किया जा सकता है। इस तरह की शक्ति कई अलग–अलग रूप लेती है। अधिकार एक विशेष सामाजिक स्थिति से जुड़ी शक्ति है, जैसे कि माता–पिता द्वारा बच्चों पर प्रयोग की जाने वाली शक्ति। सैनिकों पर अधिकारी या छात्रों पर शिक्षक आदि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति। अधिकार शक्ति का एक रूप है जिसे सामाजिक रूप से वैध माना गया है, जिसका अर्थ है कि यह उन लोगों के पास है जो उनके अधीन हैं। इसके विपरीत, जबरदस्ती की शक्ति में सामाजिक वैधता का अभाव होता है और यह भय और बल प्रयोग पर आधारित होती है। यह उन राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति है जिन पर वे विजय प्राप्त करते हैं या स्कूल के कमजोर सहपाठियों को धमकियों आदि की शक्ति। जबरदस्ती की शक्ति अस्थिर होती है, यही वजह है कि सबसे अधिक सत्तावादी सरकार भी वैधता के बिना लंबे समय तक नहीं चल सकती है।

शक्ति की अवधारणा को केवल पदानुक्रम, प्रभुत्व या अधीनता पर आधारित के रूप में ही परिभाषित नहीं किया गया है, बल्की दूसरों के सहयोग से चीजों को करने की क्षमता, लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। जहां शक्ति और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, वहीं शक्ति, सहयोग, आम सहमति और समानता की क्षमता पर भी जोर देती है। उदाहरण के लिए, जब किसान पड़ोसी के लिए एक खलिहान बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उनका सहयोग किसी और पर हावी हुए बिना, बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न करता है। प्रतिस्पर्धा आदि की शक्ति के विपरीत सहयोग की शक्ति में शक्ति में वृद्धि होती है और कोई भी शक्ति खोने की संभावना नहीं होती।

सैद्धांतिक रूप से, सहयोग की शक्ति (पावर–टू) असीम रूप से विस्तारित हो सकती है, जबकि प्रतिस्पर्धा शक्ति (पावर–ओवर) नहीं हो सकती।

सशक्तिकरण शब्द का तात्पर्य व्यक्तिगत आत्मसंतुष्टि से लेकर सामूहिक प्रतिरोध, विरोध और लामबंदी तक की उन गतिविधियों से संबन्धित है जो व्यक्तियों और समूहों के बुनियादी शक्ति संबंधों को चुनौती देते हैं, और वर्ग, जाति, जातीयता, लिंग संसाधनों आदि तक उनकी पहुंच निर्धारित करते हैं, उनका सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब वे न केवल उन पर अत्याचार करने वाली ताकतों को पहचानते हैं, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों को बदलने के लिए कार्य करते हैं।

सशक्तिकरण की प्रक्रिया के मूलतः पाँच आयाम हैं–संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक।

1. संज्ञानात्मक आयाम से तात्पर्य उन महिलाओं से है जो अपनी परिस्थितियों को और उसके कारणों को अच्छी तरह से जानती हैं। इस आयाम में ऐसे विकल्प पैदा करना हैं जो सांस्कृतिक अपेक्षाओं और मानदंडों के विरुद्ध जा सकते हों।
2. मनोवैज्ञानिक आयाम में यह विश्वास दिलाना शामिल है कि यह महिलाएं अपनी परिस्थितिओं और जिस समाज में वह रहती हैं, उसे बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कार्य कर सकती हैं।
3. आर्थिक आयाम के लिए आवश्यक है कि महिलाओं के पास उत्पादक संसाधनों की पहुंच हो और उन पर नियंत्रण हो, इस प्रकार कुछ हद तक वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक रूप से पारंपरिक लिंग भूमिकाओं या मानदंडों में परिवर्तन नहीं करता है।
4. राजनीतिक आयाम दिखाता है कि महिलाओं में, सामाजिक परिवर्तन के लिए, विश्लेषण करने, संगठित करने और कूच करने की क्षमता है, और
5- शरीर आयाम का तात्पर्य है कि महिलाओं में अपने शरीर पर, कामुकता पर नियंत्रण पाने की क्षमता है, और सशक्तिकरण प्रक्रिया के दौरान खुद को बलात्कार आदि से बचाने की ताकत है कि नहीं (www.unifem.com).

बायस्टीडजिएन्स्की के अनुसार, ''सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा उत्पीड़ित व्यक्ति दूसरों के साथ गतिविधियों और संरचनाओं के विकास में भाग लेकर अपने जीवन पर कुछ नियंत्रण प्राप्त करते हैं जो उसे उन मामलों में शामिल होने की अनुमति देता है जिनसे वे सीधे प्रभावित हैं''।

सशक्तिकरण, शक्ति और संसाधनों के पुनर्वितरण की दिशा में, सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया करने की रणनीति है।

सशक्तिकरण का संबंध शक्ति, अधिकार के वितरण से है। इसमें सामाजिक और आर्थिक संस्थागत व्यवस्थाओं, राजनीतिक विचारधाराओं और पारंपरिक प्रथाओं में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं।

आज सशक्तिकरण शब्द हर जगह प्रयोग किया जाता है जैसे अछूतों का सशक्तिकरण, शक्तिहीन लोगों का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, आदिवासियों का सशक्तिकरण इत्यादि। आजादी के बाद विशेष रूप से 70 के दशक के मध्य में भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां बनाना शुरू कर दिया। पिछले तीन दशकों में, केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार और उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तमाम संस्थाऐं पिछले दो दशकों में सरकार और यूएन, यूनिसेफ आदि की मदद से या इसके बिना, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

''सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, उत्पीड़ित व्यक्ति, साथ मिलकर अपनी परिस्थितियों के विकास में कुछ नियंत्रण प्राप्त करता है और जो लोगों को उसके मामलों में शामिल होने की अनुमति देता है, जो उसे सीधे प्रभावित करते हैं।

सामान्य तौर पर, सशक्तिकरण का अर्थ है कि वह अपने जीवन में अपनी शक्ति को कैसे संचालित करें, इस बारे में जागरूक होना। इस जागरूकता के साथ वे घर, समुदाय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक असमानताओं को चुनौती देने के लिए आत्मविश्वास और ताकत हासिल करते हैं।

आदिवासी महिलाओं का पिछड़ापन कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा कर रहा है। आदिवासी महिलाओं की निम्न स्थिति अज्ञानता, अशिक्षा, बदलते समाज से दूरी और हो रहे परिवर्तनों की जानकारी से दूरी, वहां अधीनस्थ स्थिति, उपलब्धियों के लिए अनिच्छा आदि का परिणाम है। आदिवासी लोगों के विकास के लिए आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण परम आवश्यक है। हाल के दिनों में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। ''महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को, इन दिनों किसी देश की प्रगति लिए, अनिवार्य शर्त के रूप में माना जा रहा है, इसलिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा राजनीतिक विचारकों, सामाजिक वैज्ञानिकों और सुधारकों, महिला कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, शिक्षाविदों और प्रशासकों के लिए सर्वोपरि है।''

आदिवासी महिला सशक्तिकरण की अवधारणा महिला आंदोलनों में प्रमुख रही है। आदिवासी महिलाएं अपनी दमनकारी और शोषक स्थितियों के कारण अपने लिए बदलाव लाने के लिए सशक्तिकरण के विचार को अपनाती हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में, गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो उन्हें शक्ति, आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान प्राप्त करने में मदद करती हैं। एक आदिवासी महिला सशक्तिकरण का अर्थ है उन्हें एक शक्ति का आधार, एक मंच देना, उनकी अशक्तता को चुनौती देने के लिए उनके जीवन पर अधिक नियंत्रण रखना। महिला सशक्तिकरण, वास्तविक अर्थों में, पुरुषों के पारंपरिक अधिकारों में कमी जो हैं– घर की महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण और उसकी शारीरिक गतिशीलता पर नियन्त्रण, उसका शारीरिक शोषण करने या उसका उल्लंघन करने का अधिकार, पारिवारिक आय को व्यक्तिगत सुखों आदि पर खर्च करने का अधिकार, उसे त्यागने या अन्य पत्नियां रखने का अधिकार, एकतरफा निर्णय लेने का अधिकार, जो पूरे परिवार को प्रभावित करता है। महिलाओं को एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करने की जरूरत है जहां उनका सम्मान किया जाए और उनको घर के पुरुषों के समान अधिकार दिया जाए।

महिला सशक्तिकरण, भौतिक, चिकित्सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, सांस्कृतिक आदि मापदंडों में महिलाओं की पुरुषों से तुलनात्मक स्थिति मापने का मानदंड है। जागरूकता, मुक्ति, सामाजिक स्थिति, यौन मुक्ति और पेशेवर उपलब्धि के संदर्भ में, महिलाओं के विकास के सभी मानकों के लिए, स्थिति और अवसर में समानता बुनियादी धारणा है। दुनिया भर में सामाजिक मानकों में व्यापक सांस्कृतिक अंतर है। इसलिए, दुनिया भर में समुदायों की लिंग स्थिति का आकलन करने के लिए सशक्तिकरण के समान मानकों को विकसित करना एक कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 30% से कम साक्षरता की स्थिति स्पष्ट रूप से महिलाओं की अशक्तता का संकेत है। कभी किसी समुदाय के पुरुषों की साक्षरता दर 25% है, जबकी महिलाओं की 30: तो हमारा अनुमान उलट जाता है और 30% साक्षरता दर की उपलब्धि उस समुदाय में महिला सशक्तिकरण का सूचक बन जाती है। सशक्तिकरण को प्रत्येक समुदाय के लिए स्वतंत्र रूप से और प्रासंगिक रूप से परिभाषित किया जाना है और उसके जिए उपयुक्त मानदंड विकसित किए जाने आवश्यक हैं।

मानव विकास रिपोर्ट (1996) के अनुसार, ''महिलाओं की क्षमताओं में निवेश करना और उन्हें सशक्त बनाना आर्थिक विकास और समग्र विकास में योगदान करने का सबसे पक्का तरीका है।''

आदिवासी महिलाओं में अशिक्षा, बेरोजगारी, जानकारी की कमी, जागरूकता की कमी, सत्ता पदानुक्रम में निम्नतम स्तर, आय की कमी, परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भरता, पुरुष की तुलना में शारीरिक रूप से शक्तिहीनता आदि है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है, जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष व्यक्ति को महिला की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। आदिवासी महिलाएं शक्तिहीन हैं क्योंकि सब कुछ उनके नियंत्रण या पहुंच से बाहर है। महिलाओं के शारीरिक कारक भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं को समाज में केवल बच्चा पैदा करने की भूमिका निभानी होती है, यह स्थिति उन्हें घरेलू काम या कोई आसान काम अपनाने के लिए भी मजबूर करती है। सामाजिक–सांस्कृतिक कारक भी बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं जैसे परदा प्रथा आदि।

कुछ रोजगार के क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं को आदिवासी पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, जैसे लघु उद्योग, कृषि क्षेत्र या बड़ी विनिर्माण इकाइयां, आदि में क्योंकि पुरुषों को बेहतर मजदूरी मिलती है,

इसलिए परिवार आमतौर पर पुरुष बच्चे पर अधिक निवेश करता है। कभी–कभी कुछ संस्कृतियों में, लोग लिंग विभाजन को बदलना नहीं चाहते थे, कुछ यूरोपीय देशों में, महिलाओं को वोट देने या चुनावों में लड़ने का अधिकार नहीं था। भारत में पुरूषप्रधान व्यवस्था भी महिलाओं की शक्तिहीनता के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। यह प्रणाली पुरुष और महिला की जिम्मेदारी को अलग करती है। काम के इस बंटवारे से महिलाओं को घर का सारा काम जैसे बच्चे की देखभाल, खाना बनाना आदि मिल जाता है। आदमी को बाहर की जिम्मेदारी मिल जाती है, जैसे पैसा कमाना आदि। इसलिए इस स्थिति में पुरुषों को परिवार या समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को निम्न दर्जा मिलता है और कभी–कभी वे शोषण, अवहेलना, अपमान, हिंसा आदि का शिकार हो जाती हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि महिलाओं को कमजोर वर्ग कहना एक अपमान है, यह पुरुषों का महिलाओं के साथ अन्याय है।

यह देखा गया है कि आदिवासी समाजों में महिलाओं की स्थिति आधुनिक समाजों की तुलना में बेहतर थी। निर्वाह अर्थव्यवस्था आदिवासी समाज की विशेषता है, जहाँ लोग रहने के लिए काम करते हैं। वे भविष्य के लिए पैसा कमाने या धन संचय करने के लिए काम नहीं करते हैं। निर्वाह अर्थव्यवस्था, जीने के लिए जीवन भर चलने वाला आर्थिक संघर्ष है। लेकिन मौद्रिक अर्थव्यवस्था में लोग पैसा कमाने या धन संचय करने के लिए काम करते हैं जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था है। पर्याप्त धन प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति मौद्रिक अर्थव्यवस्था में काम नहीं करने का निर्णय ले सकता है। लेकिन निर्वाह अर्थव्यवस्था में सभी को जीने के लिए काम करना पड़ता है। निर्वाह अर्थव्यवस्था में पुरुष बिना उनका शोषण किए महिलाओं के सहयोग से अपनी आजीविका कमाने के लिए बाध्य हैं। एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सहयोग की अनावश्यकता पुरुषों को महिलाओं का शोषण करने और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में पीछे करने के लिए प्रेरित करती है (इग्नू, 2004), लेकिन यह कई आदिवासियों की मातृसत्तात्मक संस्कृति के कारण है, विशेष रूप से उत्तर, पूर्व में, महिलाओं की स्थिति अन्य आदिवासी समूह से बेहतर थी।

सशक्तिकरण आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाते हुए, शक्तिहीनता का कारण बनने वाली स्थितियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया है।

सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी को शक्तिशाली बनाना। शक्ति प्रदान करना, अन्याय का सामना करने की शक्ति, आत्म–सम्मान बढ़ाने की शक्ति आदि। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शक्तिहीन को शक्ति प्रदान करती है। किसी का सशक्तिकरण नेतृत्व गुणों को भी बढ़ाता है, अन्य लोगों और सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करता है, नकारात्मक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। किसी के आसपास सब कुछ सुधारने में मदद करता है। निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। लगभग हर समाज में कुछ अल्पसंख्यक समूह होते हैं जो अपने भाग्य से लड़ने में अपने को असमर्थ महसूस करते हैं, जैसे स्त्री को समान दर्जा प्राप्त नहीं है। काम, रोजगार, कमाई, शिक्षा में पुरुष और महिला के बीच यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वास्थ्य की स्थिति और निर्णय लेने की शक्तिया आदि मामलों में आदिवासी महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करना सरकार और समाज का कर्तव्य है, क्योंकि आदिवासी महिलाओं को सशक्त किए बिना हम आदिवासी लोगों या समाज के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ''महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ वास्तव में उन्हें पुरूष प्रधान समुदाय, जाति, धर्म आदि ताकतों का सामना करने के लिए मजबूत करना है।

सशक्तिकरण के प्रमुख संकेतक (पहिचान) हैः

- मनोरंजन के उद्देश्य से बाहर जाने की स्वायत्तता जैसे प्रदर्शनी, विवाह आदि के अलावा 'रिश्तेदारों, के साथ पिकनिक, धार्मिक समारोह, फिल्म आदि।
- स्वतंत्रत होकर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में काम करने या न करने की स्वायत्तता।
- बुरका पहनने या न पहनने की स्वायत्तता।
- सामाजिक संगठनों में भाग लेने की स्वतंत्रता।
- बैंक जाने और पैसा खर्च करने की आजादी।
- मताधिकार का प्रयोग करने की व्यक्तिगत स्वायत्तता अर्थात मतदाता या प्रतियोगी के रूप में भाग लेने की स्वतंत्रता।
- गृहस्थी की वस्तुओं की खरीद, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के रोजगार, भोजन की तैयारी, विवाह के समय, जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने आदि में स्वायत्तता।
- किसी भी शौक को करने की स्वायत्तता।
- संपत्ति का स्वामित्व और संसाधनों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता।
- अपने शरीर और जीवन पर अधिकार, सुविधाओं का लाभ उठाने के अधिकार का बेहतर प्रयोग।
- परिवार नियोजन का अधिकार।
- सामाजिक सुरक्षा की बेहतर भावना महसूस करना।
- आत्मसम्मान में सुधार या महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन।

सशक्तिकरण रणनीतियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

(क) वित्तीय हस्तक्षेप रणनीतियाँ–जिसका उद्देश्य महिलाओं तक ऋण की पहुँच को बढ़ाना है जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ–साथ आर्थिक परिवर्तन करेंगे।

(ख) उद्यम विकास रणनीतियां जैसे कौशल, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशिक्षण और बेहतर प्रौद्योगिकियों आदि को महिलाओं तक पहुंचाना भी महिला उद्यमिता सशक्तिकरण की एक कड़ी है।

(ग) विपणन रणनीतियाँ–जैसे महिलाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार सुनिश्चित करना और बाजारों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाना आदि, यह ज्ञान उनके उद्यमी व्यवहार को बढ़ाता है।

(घ) सौदेबाजी की रणनीतियाँ–जो महिलाओं को कम मजदूरी के प्रति, बेहतर काम करने की सुविधाऐं प्रदान करने, और नौकरी की सुरक्षा हेतु संघर्ष करने के लिए संगठित करती हैं।

(ड़) शारीरिक सशक्तिकरण–महिलाओं को शारीरिक रूप से सशक्त करना (जैसे ताइकांडो, मार्शल आर्ट आदि) जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी अस्मिता आदि की रक्षा कर सकें। उनके शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आदि।

आदिवासियों की साक्षरता दर बारह प्रतिशत से थोड़ी अधिक है और व्यावसायिक रूप से नब्बे प्रतिशत' आदिवासी आबादी कृषि और अन्य कृषि आधरित गतिविधियों में संलग्न हैं, लेकिन उनकी कृषी भूमि बहुत कम है, उनमें से अधिकतर छोटी या सीमांत भूमि के मालिक हैं। कई आदिवासी समूह जंगलों में रह रहे हैं और उनमें कृषि कौशल की कमी है और कई आदिवासी समूह बंजर क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ या शहरी या अर्ध शहरी परिसर हैं। ये आदिवासी समूह ज्यादातर औद्योगिक कार्यों पर निर्भर हैं। सभी आदिवासी समूह, चाहे वे औद्योगिक कार्य, कृषि कार्य आदि से संबन्धित हों, सभी समान परिस्थितियों जैसे गरीबी, अज्ञानता, निरक्षरता, शोषण और शक्तिहीनता आदि की समस्याओं से ग्रसित हैं क्योंकि उनमें अशिक्षा, बेरोजगारी, गैर–आदिवासी समाज से कम संबंध, अपने समाज से परे देखने में झिझक और जागरूकता की कमी आदि के कारंण है। एक बड़ी आबादी (आदिवासी) को इस स्थिति में लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद जब भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू की गईं, सरकार ने जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किए और आदिवासी समाज के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किए गए थे।

''राज्य लोगों के कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा और उनकी सामाजिक न्याय द्वारा रक्षा करेगा'' (अनुच्छेद 46, भारत का संविधान)। जब पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उन क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी आबादी का पचास प्रतिशत थे, आदिवासी लोगों के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। ऐसे क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र के रूप में पहचाना गया और उन क्षेत्रों के सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएँ बनाई गईं। छठी पंचवर्षीय योजना में, आदिवासियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था–

1. आदिवासी वाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी
2. अन्य क्षेत्रों में बिखरे आदिवासी तथा
3. आदिम आदिवासी समुदाय।

छठे प्रथम वर्ष के कार्यक्रमों के उद्देश्य इस प्रकार थे–

1. छठी योजना अवधि के दौरान संपूर्ण आदिवासी आबादी, चाहे वह आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रह रही हो या बाहर, उपयुक्त विकास कार्यक्रमों से आच्छादित होगी।
2. आदिवासी क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में विकास के स्तर के बीच की खाई को आम तौर पर योजना के अंत तक पाट दिया जाएगा।
3. अधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों की देखभाल में सातवीं योजना के अंत तक, आदिवासी क्षेत्रों और गैर–आदिवासी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाट दिया जाएगा।
4. आदिवासी क्षेत्रों के बाहर के आदिवासी को छठी योजना के अंत तक या सातवीं योजना के अंत तक (अधिक वंचित समुदायों की देखभाल में) क्षेत्र में विकास के सामान्य स्तर को प्राप्त करने में मदद की जाएगी।

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, बच्चों, नशे के शिकार, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार आदि के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास और सशक्तिकरण के लिए एक ''सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय'' बनाया है।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार की प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम निम्नलिखित हैं–

सरकार द्वारा अपनाई गई 20.3.2001 की नीति का उद्देश्य महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण करना और महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने जीवन के सभी क्षेत्रों और गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम से कम 30: राशि अवश्य निर्धारित की जाए।

1997 में गठित 30 सदस्यों वाली इस समिति का कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना और महिलाओं की स्थिति और स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों पर रिपोर्ट देना है।

महिलाओं के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को देखते हुए और उनके द्वारा निभाई गई कई भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके सशक्तिकरण के लिए निर्दिष्ट उद्देश्य शामिल किए गए हैं–

1. महिलाओं की निरक्षरता का उन्मूलन करने हेतु, 6–14 वर्ष की आयु की प्रतेक कन्या के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना।
2. सभी महिलाओं को शिक्षा के उचित अवसर, सफलता के लिए साधन आदि प्रदान करना जिससे वे पुरुषों की बराबरी कर सकें।
3. माध्यमिक शिक्षा का पर्याप्त व्यवसायीकरण और विविधीकरण करना जिससे महिलाओं के मध्य आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार की व्यापक गुंजाइश सुनिश्चित हो।
4. महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा को एक प्रभावी साधन बनाना

(क) महिलाओं को शैक्षिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने वाली बाधाओं को हटाना,

(ख) सिस्टम में लिंग भेदभाव को खत्म करना,

(ग) महिलाओं की शिक्षा आदि के लिए सकारात्मक और समतावादी दृ ष्टिकोण विकसित करना।

5. महिलाओं को उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति के लिए ज्ञान और कौशल हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें गैर–औपचारिक और अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करना।
6. चिकित्सा, शिक्षण, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए, प्रोत्साहन करना।
7. महिलाओं की भागीदारी से स्थानीय समुदाय के लिए शैक्षिक सेवाओं के संबंध में जवाबदेही की एक नई प्रणाली बनाना।

अतः कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज में महिला सशक्तिकरण की स्थिति आम समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति से वेहतर है। अब सरकारें भी आदिवासी समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न परियोजनाऐं चला रही है और आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में आदिवासी समाज में महिलाएं और सशक्त एवं आत्मनिर्भर होंगी।

सन्दर्भ सूची:

1. हाजरा कुमार, बुमेन इम्पॉवरमेंट
2. ब्लाकविल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स
3. हाजरा कुमार महिला अधिकारिता : मुद्दे, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ
4. एच.डी.आर. (1996)
5. जेम स्टीन (1997)
6. Role and Status of Women in Tribal Societies of Arunachal, Dr. Putoli Langkam, Towards Freedom 2013.
7. Google Search many sites